

होमगार्ड्स तथा नागरिक सुरक्षा, मुख्यालय मध्यप्रदेश

परिपत्र क0-32

क्रमांक 1648 /निस/डीजी/2018,

भोपाल,

दिनांक 06 नवम्बर, 2018

यह पाया जा रहा है कि कई प्रकरणों में मान्0 न्यायालय द्वारा "स्टे" पारित किये गये हैं। अतः जिन प्रकरणों में "स्टे" पारित किये गये हैं, उसमें संबंधित प्रभारी अधिकारी तत्काल शासकीय अधिवक्ता से संपर्क कर "स्टे" वैकट कराये जाने की कार्यवाही करें।

2- साथ ही मान्नीय उच्च न्यायालय में दायर याचिकाओं में जवाबदावा प्रस्तुत करने हेतु नियुक्त किये गये प्रभारी अधिकारियों द्वारा प्रकरण की भलीभांति अध्ययन नहीं करते हैं, जिससे जवाबदावा में कुछ आवश्यक जानकारी समाहित नहीं हो पाती एवं प्रकरण काफी लम्बे समय तक मान्नीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन रहा आता है। अतः प्रभारी अधिकारी जवाबदावा शासकीय अधिवक्ता से तैयार कराया जाकर मान्नीय न्यायालय में प्रस्तुत करने के पूर्व समय पर अपने डिवीजनल कमाण्डेंट से भी परीक्षण करा लें।

3- प्रभारी अधिकारी द्वारा अवलोकन हेतु प्रेषित जवाबदावा का तत्काल परीक्षण डिवीजनल कमाण्डेंट द्वारा किया जाकर प्रभारी अधिकारी को लौटाया जावे, ताकि समय पर जवाबदावा मान्. उच्च न्यायालय में प्रस्तुत हो सके। यदि डिवीजनल कमाण्डेंट किसी बिन्दु विशेष पर मुख्यालय से जानकारी प्राप्त किया जाना आवश्यक समझते हैं तो स्पष्ट जानकारी एवं अभिमत सहित प्रकरण मुख्यालय में उपलब्ध कराते हुए मुख्यालय से परीक्षण कराकर शीघ्राति-शीघ्र जवाबदावा प्रस्तुत कराने की कार्यवाही करें।

4- महाधिवक्ता म0प्र0 जबलपुर के द्वारा कोर्ट में लंबित प्रकरणों को CMTS के अंतर्गत कार्यवाही के निर्देश दिए जाकर 15 दिवस में तामीली की मांग की है, जो Webs Portal पर कार्यवाही कर तामीली से इस कार्यालय को भी अवगत करावें (जारी दिशा-निर्देश इस मुख्यालय के पत्र क्रमांक 1-16/ 1491/गो.शा. (1)/कोर्टकेस/2018, दिनांक 03.11.18 द्वारा विभाग के समस्त यूनिटों को प्रेषित की गई है)।

(महेश मोरते सागुर)
डायरेक्टर जनरल, 11.18

होमगार्ड्स तथा नागरिक सुरक्षा,

एवं आपदा प्रबंधन, मध्यप्रदेश

पृ0क्रमांक 1649 /निस/डीजी/2018,

भोपाल,

दिनांक 06 नवम्बर, 2018

प्रतिलिपि :-

- 1- अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, होमगार्ड्स मध्यप्रदेश जबलपुर।
- 2- एडीशनल कमाण्डेंट जनरल, होमगार्ड्स मध्यप्रदेश जबलपुर।
- 3- समस्त एस.एस.ओ./जे.एस.ओ. होमगार्ड्स मध्यप्रदेश जबलपुर।
- 4- कमाण्डेंट, केन्द्रीय प्रशि. संस्थान, होमगार्ड्स मंगेली-जबलपुर।
- 5- समस्त डिवीजनल कमाण्डेंट, होमगार्ड्स मध्यप्रदेश।
- 6- समस्त डिस्ट्रिक्ट कमाण्डेंट, होमगार्ड्स मध्यप्रदेश।
- 7- सहा.जिला अभियोजन अधिकारी, होमगार्ड्स मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(महेश मोरते सागुर)
डायरेक्टर जनरल, 11.18
होमगार्ड्स तथा नागरिक सुरक्षा,
एवं आपदा प्रबंधन, मध्यप्रदेश